

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा सं०
267 / 2017

रजू दिनांक
25.10.2017

निर्णय दिनांक
12.04.2018

अनुवान

1. धर्मवीर
2. बलजीत पुत्रान प्रभाती जाति अहीर निवासीयान अहीर भगोला तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०
3. सुन्दर लाल
4. मामचन्द पुत्रान
5. चन्द्रकला पुत्री
6. गुलाब देवी पत्नी मेहरचन्द जाति अहीरान निवासीयान अहीर भगोला तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

:-वादीगण

बनाम

1. किशन
2. पवन पुत्रान मंगल जाति अहीरान निवासीयान अहीर भगोला तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०


:-प्रतिवादीगण

दावा:-हु० ई० दवामी

:-परचा डिक्री:-

दिनांक:- 12.04.2018


वादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह यादव एडवोकेट एवं श्री पृथ्वी सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.04.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अ.अ.)

वादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह यादव एडवोकेट एवं श्री पृथ्वी सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.04.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

आराजी ख० नं० 288,289 वाके ग्राम अहीर भगोला के बाबत प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त विवादित आराजी की डोल को ना तोड़े, ना ही काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न करे ठीक इसी अनुसार वादीगण को भी हु० ई० दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उनकी आराजी से लगती हुई प्रतिवादीगण की आराजी खं० 285, 286, 287 की डोल को नहीं तोड़े नाहि जबरन कब्जा करे एवं आराजी ख० न० 285, 286, 287 वाके ग्राम भगोला अहीर तहसील मुण्डावर में प्रतिवादीगण अपने ख० नम्बरान की हद तक तारबंदी आदि करें तों वादीगण तारबंदी किये जाने में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें। अपने-अपने आराजी खं० नं० हिस्से रकबे तक कायम रहे सदैव-सदैव के लिए उभयपक्षकारान को हु० ई० दवामी से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 12.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


12.04.2018
(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)